Despatch Rider 12 (137

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99 REGD. NO. D.L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 2003/चैत्र 29, 1925
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 2003/CHAITRA 29, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2003

सा. का. नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, दिल्ली में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2003 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को अन्यथा लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

138

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	
डिस्पैच राइडर	*1 (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	3050-75-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होगा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय के समूह 'ग' के नियमित कर्मचारियों में से, जिनके न होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत नियमित डिस्पैच राइडर अथवा समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास :— (क) मोटर साइकिल/आटो रिक्शा के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस; और (ख) मोटर साइकिल/आटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	शून्य

[सं. रा. रे. 9-160(1)/2001-प्रशा. II]

जयन्त कुमार, अतिरिक्त, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 3rd April, 2003

G.S.R. 161.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Office of the Registrar General, India, Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called in the Office of the Registrar General, India, (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Despatch Rider	*(2003) Subject to variations dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. Ministerial.	Rs. 3050-75-4590.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years	Deputation/absorption

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Deputation/absorption : From amongst regular Group 'D' employees in the Office of the Registrar General, India/ Ministry of Home Affairs failing which from regular Despatch Riders or Group 'D' employees in other Ministries/Departments of the Central Government who possess :— (a) valid driving license for motorcycle/ auto rickshaw; and (b) two years experience in driving motor cycle/auto rickshaw.	Not applicable	Nil

[F.No. A-16011/1/2001-Admn. II]
J. K. BANTHIA, Registrar General, India

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

सा. का. नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक कार्य विभाग में कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर (समूह घ) पद भर्ती नियम, 2002 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन :**—सभी व्यक्ति जो कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर के रूप में कार्यरत रहे हैं और ऐसा पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियुक्त समझा जाएगा और उनकी सेवाएं प्रोन्नति के लिए विचार करते समय गणना में ली जाएंगी।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **शिथिलन :**—जब राष्ट्रपति

(क) [illegible] की बाबत जिसकी पत्नी जीवित है, विधवा है, या

(ख) किसी अपने पति या अपनी [illegible] के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है